फा.सं.19047/1/2016-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि के गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारियां।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान से संबंधित मुद्दों की व्यय विभाग में जांच की गई है। यह विनिश्चय किया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारी निम्नलिखित तरीके से विनियमित की जाए:-

(I) समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी:

इन गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारी इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/01/2017-ईIV में उल्लिखित पुनरीक्षित दरों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय उनकी हकदारी के अनुसार होगी।

(II) समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति:

इन गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारी वही होगी जो वेतन मेट्रिक्स में वेतन लेवल-11 (संशोधन-पूर्व ग्रेड वेतन - 6600/-रूपए) में अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है। ये हकदारियां इस प्रकार होंगी:-

i) देश के अंदर यात्रा हकदारी - हवाई जहाज से इकोनोमी क्लास अथवा रेलगाड़ी से एसी-II

ii) होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 2,250/- रुपए तक प्रतिपूर्ति,

iii) शहर के अंदर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338/- रुपए तक गैर-वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, और

iv) प्रति दिन अधिकतम 900/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।

(III) समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति:

इन गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारी वही होगी जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 14 (संशोधन-पूर्व ग्रेड वेतन - 10,000/- रुपए) के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है। हकदारियां इस प्रकार होंगी:-

i) इन गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा हकदारी के संबंध में, वित्त सलाहकार के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय में सचिव उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि में गैर-सरकारी सदस्य हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन देश के अंदर घरेलू एयरलाइन में एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं:-

क) जहां कोई गैर-सरकारी सदस्य ऐसे संगठन जिससे उसका संबंध है अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व संबंध था, के नियमों के तहत एक्सीक्यूटिव क्लास से हवाई यात्रा का हकदार है अथवा था।

ख) जहां प्रशासनिक मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि सरकारी ड्यूटी के निष्पादन से असंबद्ध यात्राओं के संबंध में संबंधित गैर-सरकारी सदस्य द्वारा एक्सीक्यूटिव क्लास से हवाई यात्रा, यात्रा की प्रथागत विधि है।

ii) होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 7,500/- रुपए तक प्रतिपूर्ति।

iii) शहर के अंदर यात्रा के लिए वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिपूर्ति।

iv) प्रतिदिन अधिकतम 1200/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।

2. स्थानीय गैर-सरकारी सदस्यों के लिए मील भत्ता निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगा:-

i) **सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए:** इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/01/2017-ईIV में उल्लिखित पुनरीक्षित दरों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय उनकी हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता।

ii) **विभिन्न क्षेत्रों से नामित अन्य गैर-सरकारी सदस्य:** शहर के अंदर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338/- रुपए तक गैर-वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

iii) **गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए -** शहर के अंदर यात्रा के लिए वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिपूर्ति।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की हकदारियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी:-

i) यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ये हकदारियां बाहर से आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में लागू होंगी। स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

ii) स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य केवल मील भत्ते के हकदार होंगे।

iii) उपर्युक्त हकदारियों में परिवर्तन की मांग के मामले उसके पूर्ण औचित्य के साथ वित्त मंत्रालय को भेजे जाएं।

4. ये निर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. इसे वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव (ईजी)
टेलीफैक्स: 23093276

सेवा में

1. **सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)**
2. **सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार (मानक सूची के अनुसार)**